न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : अनिल कुमार II, RAS

अपील संख्या 26/2022

1 कुरड़ाराम पुत्र देवा मृतक
1/1 भागली देवी पत्नी कुरड़ाराम
1/2 धमन सिंह पुत्र कुरड़ाराम
1/3 महेशचन्द्र पुत्र कुरडाराम
1/4 कैला देवी पुत्री कुरडाराम निवासीगण कोल्याली तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं।

अपीलांटस

बनाम

1 जयमल पुत्र करना
2 कैलाश चन्द्र पुत्र हरदयाल
3 छोटु पुत्र हरदयाल
4 ताराचंद पुत्र हरदयाल
5 नंदलाल पुत्र हरदयाल
6 बद्री पुत्र प्रभात
7 बोदू पुत्र करना
8 मंगलाराम पुत्र हरदयाल
9 मेवा पुत्री हरदयाल
10 मनकोरी पुत्री हरदयाल
11 मेहरचंद पुत्र श्योपाल
12 शांति पुत्री हदयाल
समस्त निवासीगण कोल्याली तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं।
13 बैंक ऑफ बड़ोदा शाखा खेतड़ी जरिये शाखा प्रबंधक खेतड़ी तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं।
14 बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा बबाई तहसील खेतड़ी जरिये शाखा प्रबंधक जिला झुन्झुनूं।
15 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार खेतड़ी जिला झुन्झुनूं।

रेस्पोडेन्टस

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

अपील अ. धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 अपील खिलाफ निर्णय दिनांक 22.02.2022 बअदालत उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर खेतड़ी जिला झुन्झुनूं मुकदमा उनवानी जयमल बनाम कुरड़ाराम वगै. मु.नं. 36/2020 दिनांक 01.10.2021 (36/2020) दिनांक 22.02.2022 प्रार्थना पत्र अ. धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति :

1. श्री विजय ओला, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री राजेन्द्र बुडानियां, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

–निर्णय–

दिनांकः– 24.4.26

यह अपील विचारण न्यायालय सहायक कलेक्टर खेतड़ी द्वारा मुकदमा नम्बर 36/2020 में पारित निर्णय दिनांक 01.10.2021 व 22.02.2022 के विरूद्ध प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में प्रार्थी रेस्पोडेन्ट 1 ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बाबत भूमि खसरा नम्बर 121, 122, 123, 214, 215, 75, 76 वाके ग्राम कोल्याली तन कालोटा तहसील खेतड़ी का पेश किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से दिनांक 01.10.2021 को प्रार्थना पत्र स्वीकार कर लिया व दिनांक 22.02.2022 को रिव्यू प्रार्थना पत्र धारा 152 सीपीसी स्वीकार कर लिया। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में प्रार्थी ने खातेदार श्योलाल के एक पुत्र मेहरचंद को ही पक्षकार बनाया है बाकी श्योलाल के विधिक वारिसान नानुराम

कुमार II RAS
अधिकारी एवं
अपील अधिकारी

लड़का होने के नाते व रूड़ी उसकी लड़की होने के नाते विधिक वारिसान है जिनको धारा 251 ए के प्रार्थना पत्र में पक्षकार नहीं बनाया है। विचारण न्यायालय ने तहसीलदार खेतड़ी की रिपोर्ट का कानूनी रूप से कोई इन्टरपेटेशन नहीं निकाला है। तहसीलदार खेतड़ी से दो रिपोर्ट मंगवाई गई है जिसमें भी यह साफ–साफ अंकन है कि अप्रार्थी जयमल के लघुत्तम रास्ता इस खसरे से नही होकर दुसरे खसरे से है। तहसीलदार खेतड़ी ने दिनांक 16.09.2021 की अपनी रिपोर्ट में यह साफ साफ लिखा है कि खसरा नम्बर 1914/213 की अपनी रिपोर्ट में यह साफ साफ लिखा है कि खसरा नम्बर 1914/213 से रास्ता देने पर 328 वर्गमीटर एरिया बनता है एवं खसरा नम्बर 120 की पूर्वी सीमा से 308 वर्गमीटर एरिया ही लगता है और खसरा नम्बर 214 के खसरा नम्बर 120 की सींव भी लगती है। धारा 251 ए में यह स्पष्ट है कि रास्ते के लिए सबसे नजदीकी दुरी ही देखी जायेगी। तहसीलदार खेतड़ी ने अपने प्रथम रिपोर्ट दिनांक 04.03. 2021 में भी स्पष्ट रूप से यह लिखा है कि खसरा नम्बर 1914/213 की सींव के सहारे से रास्ता देने से 320 वर्गमीटर व खसरा नम्बर 120 की पूर्वी सीमा से देने पर 308 वर्गमीटर एरिया बनता है। इस प्रकार विचारण न्यायालय ने इन कानूनी बिन्दुओं को नजर अंदाज करते हुये मनमाने ढंग से उक्त विचाराधीन निर्णय पारित किया है जो खिलाफ कानून एवं न्याय होने से खारिज होने योग्य है। विचारण न्यायालय की आदेशिका का अवलोकन करने पर यह स्पष्ट है कि दिनांक 01.10.2021 को पत्रावली बहस हेतु नियत थी। और उसी दिनांक को विचारण न्यायालय ने निर्णय पारित किया। दिनांक 01.10.2021 की आदेशिका में अपीलान्ट कुरड़ाराम ने एक गिरदावर रिपोर्ट आपत्ति प्रार्थना पत्र विचारण न्यायालय में 01.10. 2021 को पेश किया था। उस आपत्ति प्रार्थना पत्र का बिना निस्तारण किये ही निर्णय कर दिया। धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रार्थना पत्र उसी सूरत में चल सकता है जिस जगह के लिए दुसरा वैकल्पिक रास्ता न हो। रेस्पोडेन्ट सं. 1 जयमल मकान बनाकर आबाद है। खसरा नम्र 214, 215 के लिए रास्ता चाहा है उसकी सींव उसके आबाद मकान के खसरा 214 के लगती है। इसलिये रेस्पोडेन्ट सं. 1 का रास्ते का प्रार्थना पत्र नहीं चल सकता जो विचारण न्यायालय ने प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जो खिलाफ कानून व न्याय होने से खारिज होने योग्य है। रेस्पोडेन्ट नं. 1 जयमल जहां मकान बनाकर आबाद है उसके 20 फीट

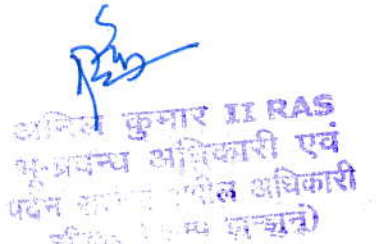

की दूरी पर जगदीश आबाद है जगदीश के पास ही 25–30 फीट दुरी पर धर्मपाल व धर्मपाल के पास ही रामजीलाल आबाद है। अपीलान्ट ने विचारण न्यायालय में मौके के फोटो ग्राम भी पेश किये है। विचारण न्यायालय में मौके के फोटो ग्राफ भी पेश किये है। विचारण न्यायालय के प्रार्थना पत्र में अप्रार्थी सं. 11 जो मेहरचंद उसका रकबा भी जयमल के ही कब्जे काश्त है इस तथ्य को भी विचारण न्यायालय में रेस्पोडेन्ट सं. 1 जयमल ने छिपाया है। जगदीश, धर्मपाल, रामजीलाल अपने खेतों में मकान बनाकर आबाद है उनके 20 फीट की दूरी पर ही जयमल आबाद है। जगदीश, धर्मपाल, रामजीलाल, रसुलपुर से कालोटा वाली मुख्य सड़क से मौके पर ग्रेवल बिछी हुई है और रास्ता बना हुआ है उसको अपने आने जाने के लिए काम में लेते है और जयमल की इसी रास्ते से अपने घर व खसरा नम्बर 214 में आता जाता व काश्त करता है। कानूनी रूप से जिसके रास्ता उपलब्ध है उसको दुसरे रास्ते के लिए किसी खातेदार को मजबुर नहीं किया जा सकता। यही कानून की मंशा है जो विचारण न्यायालय ने नही किया। इस कारण विचारण न्यायालय का निर्णय खारिज होने योग्य है। विचारण न्यायालय ने अपने निर्णय में लिखा है कि अनावेदक सं. 2 लगायत 12 के खिलाफ अनुतोष नही चाहा। इस कारण तनकी तलबी बन्द की गई। विचारण न्यायालय ने उक्त तलबी बन्द करने का आदेश कानूनी प्रोसेस को बिना अपडेट किये किया जो कि विधि विरूद्ध होने से खारिज होने योग्य है। विचारण न्यायालय ने रेस्पोडेन्ट सं. 1 से जो रिव्यू का प्रार्थना पत्र लेकर स्वीकार किया है वह अपने न्यायिक क्षेत्राधिकार के बाहर जाकर किया है जो खारिज होने योग्य है। अपील स्वीकार की जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में प्रार्थी रेस्पोडेन्ट 1 ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बाबत भूमि खसरा नम्बर 121, 122, 123, 214, 215, 75, 76 वाके ग्राम कोल्याली तन कालोटा तहसील खेतड़ी का पेश किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से दिनांक 01.10. 2021 को प्रार्थना पत्र स्वीकार कर लिया व दिनांक 22.02.2022 को रिव्यू प्रार्थना पत्र धारा 152 सीपीसी स्वीकार कर लिया। विचारण न्यायालय में अपीलान्ट की जरिये वकील उपस्थिति रही है। अपीलान्ट द्वारा दिनांक 09. 02.2021 को जवाब प्रस्तुत किया गया है। इसके उपरांत विचारण न्यायालय

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

द्वारा मौका रिपोर्ट प्राप्त की गई है। मौका रिपोर्ट पर प्रार्थी रेस्पोडेन्ट द्वारा आपत्ति प्रस्तुत की गई। अपीलान्ट द्वारा आपत्ति का जवाब प्रस्तुत किया गया। विचारण न्यायालय ने उभयपक्ष को सुनकर दिनांक 24.08.2021 से पुनः तहसीलदार से मौका रिपोर्ट भिजवाने के आदेश दिये है। दिनांक 21.09.2021 को पुनः मौका रिपोर्ट प्राप्त कर उभयपक्ष को सुनकर रास्ते की आत्यंतिक आवश्यकता, निकटतम दूरी का रास्ता एवं वैकल्पिक रास्ते का अभाव होना सुनिश्चित कर विचाराधीन निर्णय से आवेदन स्वीकार करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। विचारण न्यायालय ने उभयपक्ष को सुनकर विस्तृत विवेचन कर 152 सीपीसी का आवेदन स्वीकार किया है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील सारहीन है। खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय में प्रार्थी रेस्पोडेन्ट 1 ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बाबत भूमि खसरा नम्बर 121, 122, 123, 214, 215, 75, 76 वाके ग्राम कोल्याली तन कालोटा तहसील खेतड़ी का पेश किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से दिनांक 01.10.2021 को प्रार्थना पत्र स्वीकार कर लिया व दिनांक 22.02.2022 को रिव्यू प्रार्थना पत्र धारा 152 सीपीसी स्वीकार कर लिया।

प्रस्तुत प्रकरण में विचारण न्यायालय में प्रार्थी ने खातेदार श्योलाल के एक पुत्र मेहरचंद को ही पक्षकार बनाया है बाकी श्योलाल के विधिक वारिसान नानुराम लड़का होने के नाते व रूड़ी उसकी लड़की होने के नाते विधिक वारिसान है जिनको धारा 251 ए के प्रार्थना पत्र में पक्षकार नहीं बनाया है। आवश्यक पक्षकारों को पक्षकार संयोजित किये बिना, सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है।

प्रस्तुत प्रकरण में तहसीलदार खेतड़ी से दो रिपोर्ट मंगवाई गई है जिसमें भी यह स्पष्ट अंकन है कि अप्रार्थी जयमल के लघुत्तम रास्ता इस खसरे से नही होकर दुसरे खसरे से है। तहसीलदार खेतड़ी ने दिनांक 16.09.2021 की अपनी रिपोर्ट में यह स्पष्ट लिखा है कि खसरा नम्बर

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

1914/213 से रास्ता देने पर 328 वर्गमीटर एरिया बनता है एवं खसरा नम्बर 120 की पूर्वी सीमा से 308 वर्गमीटर एरिया ही लगता है और खसरा नम्बर 214 के खसरा नम्बर 120 की सींव भी लगती है। धारा 251 ए में यह स्पष्ट है कि रास्ते के लिए सबसे नजदीकी दुरी ही देखी जायेगी।

तहसीलदार खेंतड़ी ने अपने प्रथम रिपोर्ट दिनांक 04.03.2021 में भी स्पष्ट रूप से यह लिखा है कि खसरा नम्बर 1914/213 की सींव के सहारे से रास्ता देने से 320 वर्गमीटर व खसरा नम्बर 120 की पूर्वी सीमा से देने पर 308 वर्गमीटर एरिया बनता है। विचारण न्यायालय की आदेशिका का अवलोकन करने पर यह स्पष्ट है कि दिनांक 01.10.2021 को पत्रावली बहस हेतु नियत थी, और उसी दिनांक को विचारण न्यायालय ने निर्णय पारित किया है।

प्रस्तुत प्रकरण में विचारण न्यायालय की दिनांक 01.10.2021 की आदेशिका में अपीलान्ट कुरड़ाराम ने एक आपत्ति प्रार्थना पत्र विचारण न्यायालय में 01.10.2021 को पेश किया था। विचारण न्यायालय ने उस आपत्ति प्रार्थना पत्र का बिना निस्तारण किये ही निर्णय कर दिया। धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रार्थना पत्र उसी सूरत में चल सकता है जिस जगह के लिए दुसरा वैकल्पिक रास्ता न हो।

विचारण न्यायालय ने अपने निर्णय में लिखा है कि अनावेदक सं. 2 लगायत 12 के खिलाफ अनुतोष नही चाहा। इस कारण तनकी तलबी बन्द की गई। विचारण न्यायालय ने उक्त तलबी बन्द करने का आदेश कानूनी प्रोसेस को बिना अपडेट किये किया जो कि विधि विरूद्ध होने से खारिज होने योग्य है। विचारण न्यायालय ने रेस्पोडेन्ट सं. 1 से जो रिव्यू का प्रार्थना पत्र लेकर स्वीकार किया है, वह विधि सम्मत नहीं है।

प्रस्तुत प्रकरण में पूर्व में पारित आदेश दिनांक 01.10.2021 से खसरा नम्बर 1914/213 एवं 120 में से रास्ता कायम करने के आदेश दिये है। इसके उपरांत रिव्यू प्रार्थना पत्र स्वीकार कर दिनांक 22.02.2022 को केवल खसरा नम्बर 1914/213 में से रास्ता कायम करने के आदेश दिये है। स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय द्वारा विधिक प्रकिया की पालना किये बिना रिव्यू प्रार्थना पत्र पेश होने पर उभयपक्ष को पुनः सुने बिना, पुनः मौका रिपोर्ट प्राप्त किये बिना विचाराधीन निर्णय पारित कर विधिक त्रुटि की है।

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय दिनांक 01.10.2021 एवं 22.02.2022 को विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय दिनांक 01.10.2021 एवं 22.02.2022 को अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि आवश्यक पक्षकारों को पक्षकार संयोजित कर जवाब प्राप्त कर पुनः मौका रिपोर्ट प्राप्त कर बाद सुनवाई प्रकरण में गुणावगुण पर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 29.05.2026 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 24.4.26 को सरे इजलास सुनाया गया।

(अनिल कुमार II)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (राज.)